सचित्र

वन्यजीव व्यापार अन्वेषण गाइड

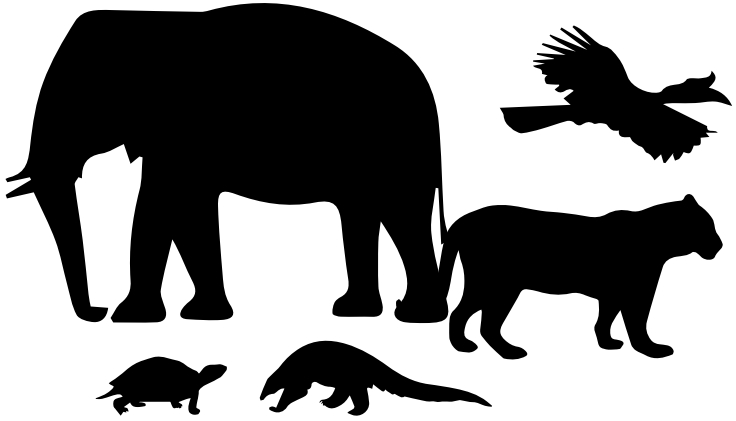

प्रकाशक:
डब्ल्यू.सी.एस-इंडिया, बंगळूर
www.wcsindia.org

विषयवस्तु:
मृदुला विजयराघवन
साहिला कुंडलकर

संकल्पना एवम् आरेखन:
मालविका तेवारी

संदर्भ:

वाइल्डलाइफ क्राइम इन्वेस्टीगेशन : अ हैंडबुक फॉर वाइल्डलाइफ क्राइम इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर्स
(वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट्स ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन इन वाइल्डलाइफ ओफ्फेंसेस (ट्रैफ़िक इंडिया)

फील्ड गाइड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ मरीन एंड इम्पोर्टेन्ट वाइल्डलाइफ प्रोडक्ट्स
(वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

वन्यजीव अपराधः एक कार्यान्वयन मार्गदर्शिका, दूसरा संस्करण
(वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ़ इंडिया)

वाइल्डलाइफ ट्रेड: अ हैंडबुक फॉर एनफोर्समेंट स्टाफ (ट्रैफिक इंडिया)

सचित्र वाइल्डलाइफ इन्वेस्टिगेशन गाइड को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट से वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन सोसाइटी के माध्यम से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
यहां बताई गई राय, परिणामऔर निष्कर्ष लेखक [ओं] के हैं और जरूरी नहीं कि वे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट या ववाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन सोसाइटी को प्रतिबिंबित करें।

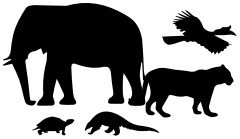

सचित्र

वन्यजीव व्यापार अन्वेषण गाइड

1. परिचय

1.1. वन्यजीव अपराधों के प्रकार.....2

1.2. स्रोत के रूप में पहचाने गए देशों द्वारा प्रतिवेदित जब्तियाँ.....3

1.3. भारत से बाहर जाने वाले वन्यजीव तस्करी के मार्ग.....4

1.4. वन्यजीव अपराध का सामना करने में संलग्न एजेंसियाँ.....5

1.5. वन्यजीव अपराध का सामना करने में सहायक कानून.....6

2. संसूचन और अन्वेषण

2.1. इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के माध्यम से वन्यजीव अपराध का संसूचन.....8

2.2. अन्वेषण का अवलोकन.....9

2.3. अन्वेषण के चरण.....9-10

2.4. खोज और जब्ती.....11-14

2.5. प्रमाणों का एकत्रीकरण.....15-19

2.6. पूछताछ के बिंदु.....20

2.7. गिरफ्तारी.....21

3. वाइल्डलाइफ ओफ्फेंस रिपोर्ट और न्यायिक हिरासत

3.1. वन्यजीव अपराध ब्यौरे के बिंदु.....26-28

3.2. ज़मानत.....29-30

4. डब्ल्यू.एल.ओ.आर. के बाद का अन्वेषण

4.1. पूछताछ और आगे की अन्वेषण.....32

4.2. बयान दर्ज़ करना.....33-34

4.3. केस डायरी का महत्त्व.....35

4.4. विश्लेषण.....36

5. कंप्लेंट

5.1. कंप्लेंट के बिंदु.....38-40

5.2. अभियोजन.....41

5.3. साक्षी/गवाह का प्रशिक्षण.....42-43

5.4. मुकदमे के बाद का कार्य.....44

**वन्य जीव अधिनियम, 1972 के अंतर्गत व्यापार और शिकार के अपराध.....45-49*

१. परिचय

वन्यजीव अपराधों के प्रकार

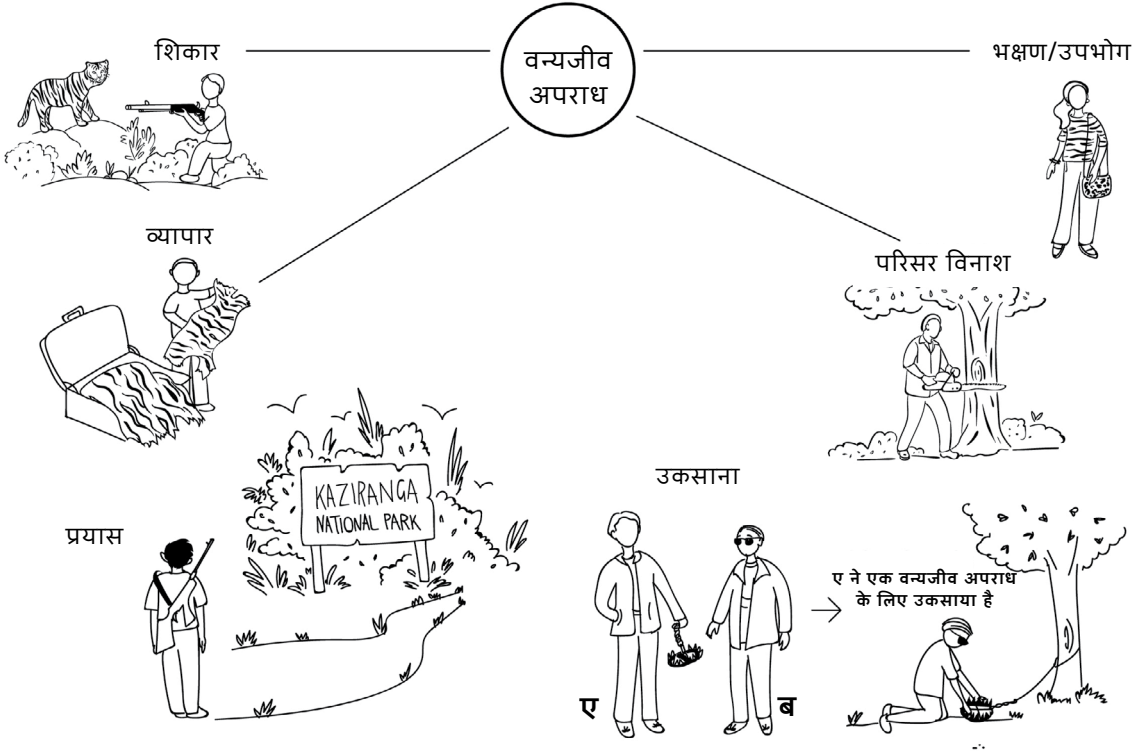

2004-2015 स्रोत के रूप में पहचाने गए देशों द्वारा प्रतिवेदित जब्तियाँ

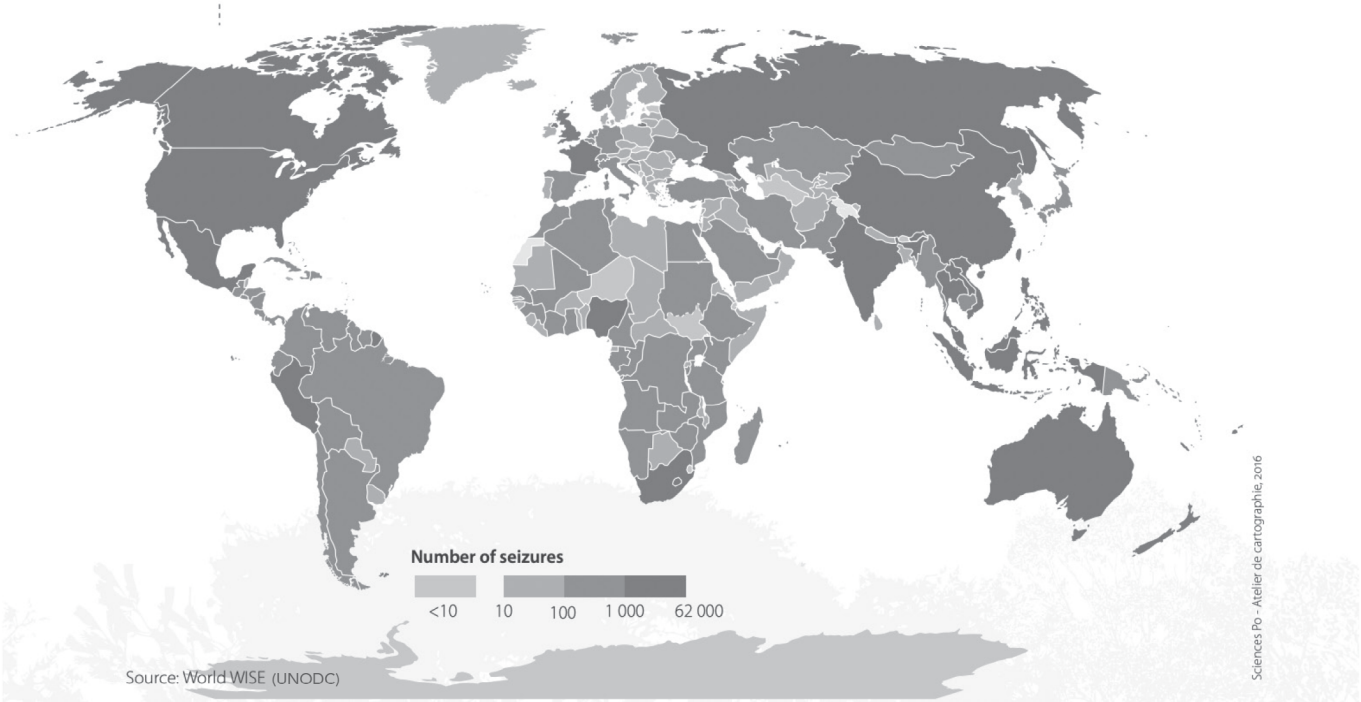

भारत से बाहर जाने वाले वन्यजीव तस्करी के मार्ग

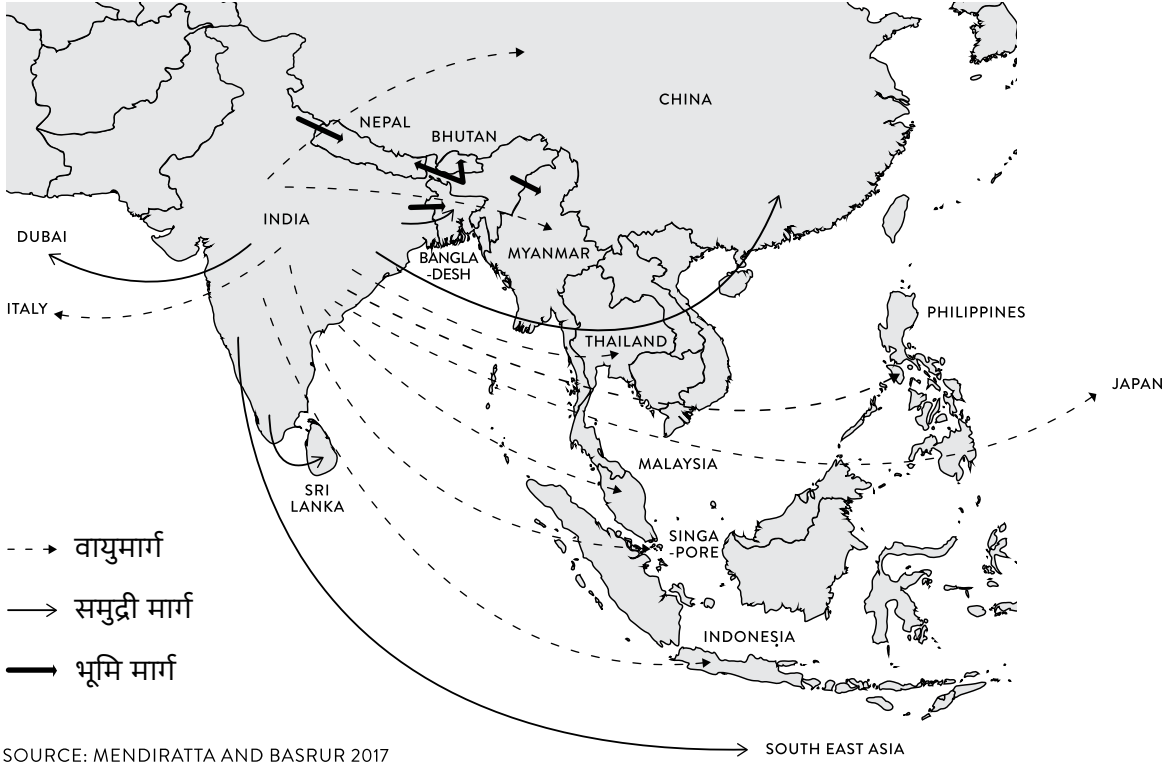

SOURCE: MENDIRATTA AND BASRUR 2017

वन्यजीव अपराध का सामना करने में संलग्न एजेंसियाँ

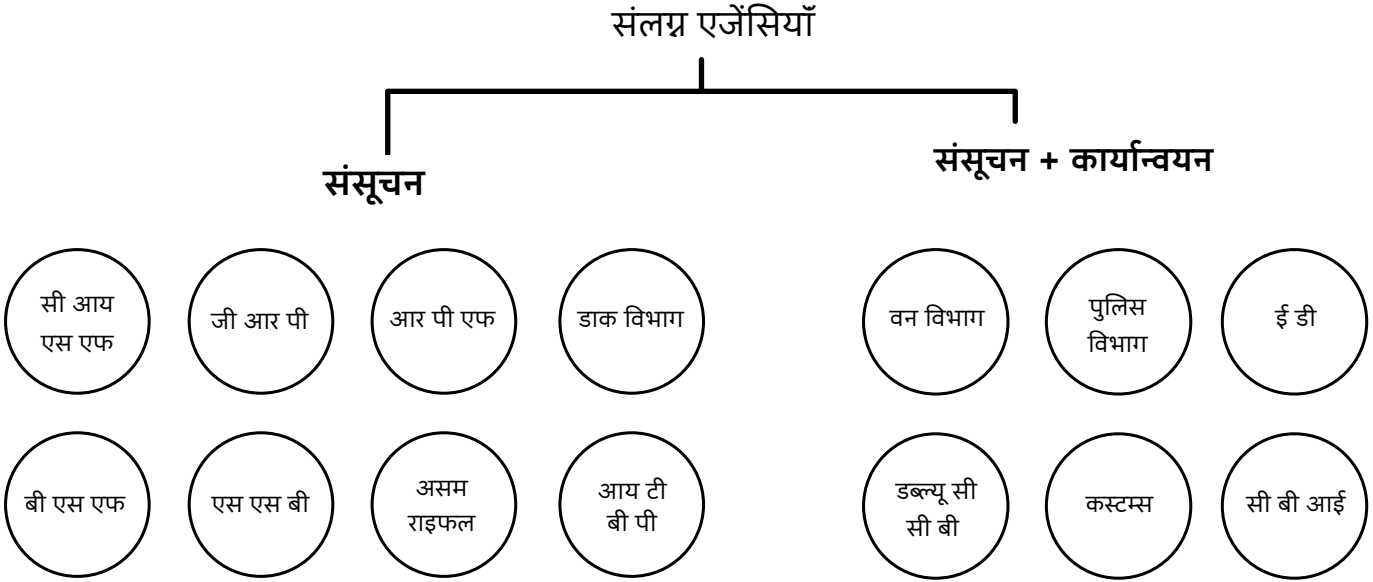

वन्यजीव अपराध का सामना करने में सहायक कानून

डब्ल्यू.एल. पी.ए 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, १९७२

सी आर पी सी 1973 दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३

सीईटीइएस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेन्जर्ड स्पीशीज ऑफ़ वाइल्ड फौना एंड फ़्लोरा

भारतीय वन अधिनियम, 1927 भारतीय वन अधिनियम, १९२७

पी.एम. एल.ए 2002 पीएमएलए २००२ (धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२

पी ए 1861 पुलिस अधिनियम, १८६१

२. संसूचन और अन्वेषण

इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के माध्यम से वन्यजीव अपराध का संसूचन

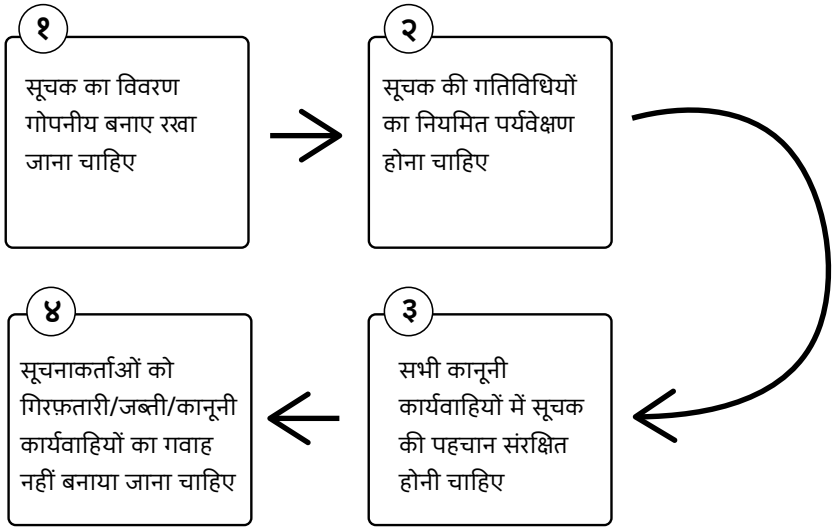

अन्वेषण का अवलोकन

प्रवेश | रोकना | तलाशी | जब्ती | गिरफ़्तारी

डब्ल्यूएलओआर फ़ाइल कीजिए और गिरफ्तारी के 24 घण्टों के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश करें

उच्च मूल्य के माल के मामले में फाइल की गई डब्ल्यूएलओआर को प्रवर्तन निदेशालय को भेजा जाना चाहिए

अन्वेषण के चरण

१.

अपराध के दृश्य का अन्वेषण

२.

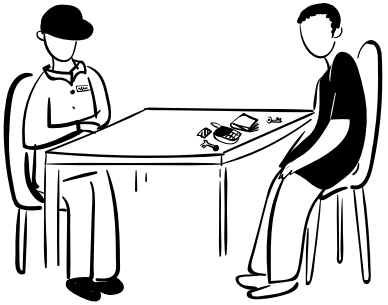

पूछताछ

३.

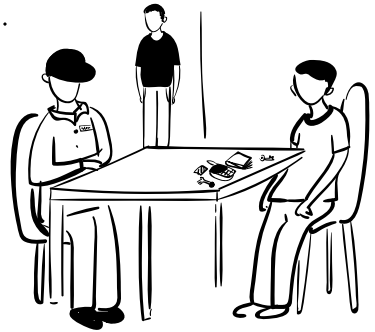

गवाह से पूछ-ताछ

४.

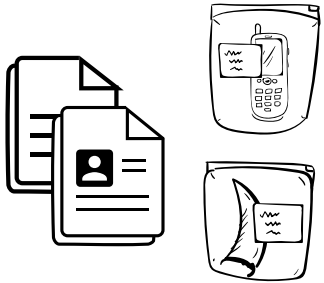

प्रमाणों का विश्लेषण

५.

आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर डब्ल्यू.एल.पी.ए, 1972 की धारा 55, के अंतर्गत कंप्लेंट दर्ज़ करना

कंप्लेंट को वन्यजीव संरक्षण निदेशक/ मुख्य वन्यजीव वार्डन/राज्य द्वारा अधिकृत एक अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा दायर किया जाना चाहिए

उच्च मूल्य के माल के विषय में, फाइल की हुई कंप्लेंट को प्रवर्तन निदेशालय को भेजा जाएगा

खोज और जब्ती परिदृश्य: बाहर

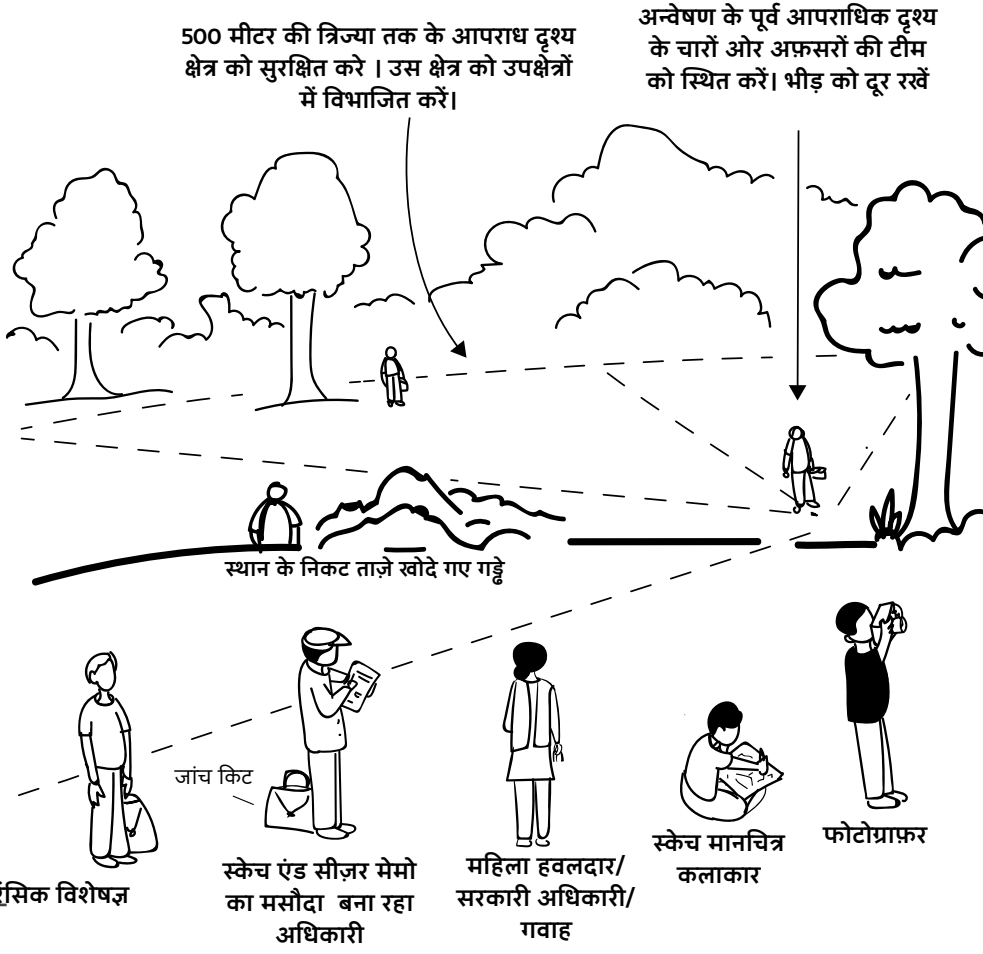

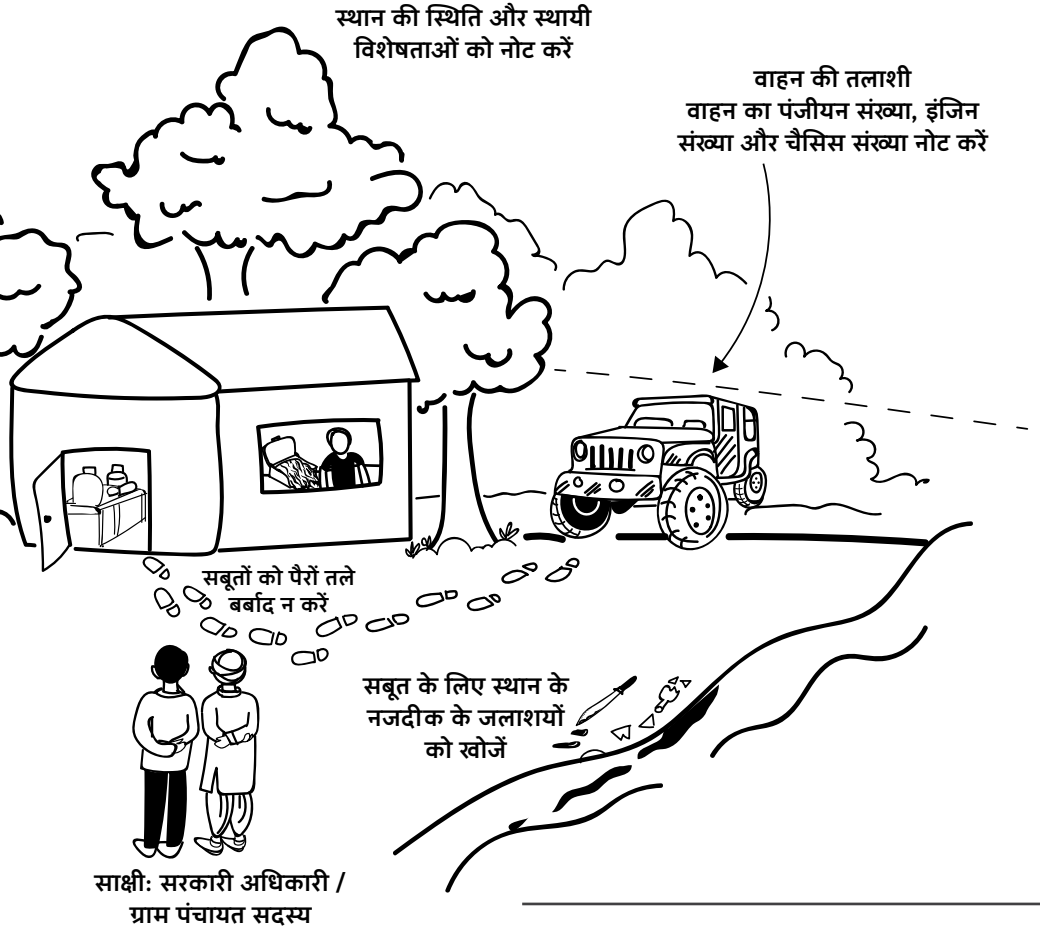
स्थान की स्थिति और स्थायी विशेषताओं को नोट करें
वाहन की तलाशी
वाहन का पंजीयन संख्या, इंजिन संख्या और चैसिस संख्या नोट करें
सबूतों को पैरों तले बर्बाद न करें
सबूत के लिए स्थान के नजदीक के जलाशयों को खोजें
साक्षी: सरकारी अधिकारी / ग्राम पंचायत सदस्य

खोज और जब्ती परिदृश्य: अंदर

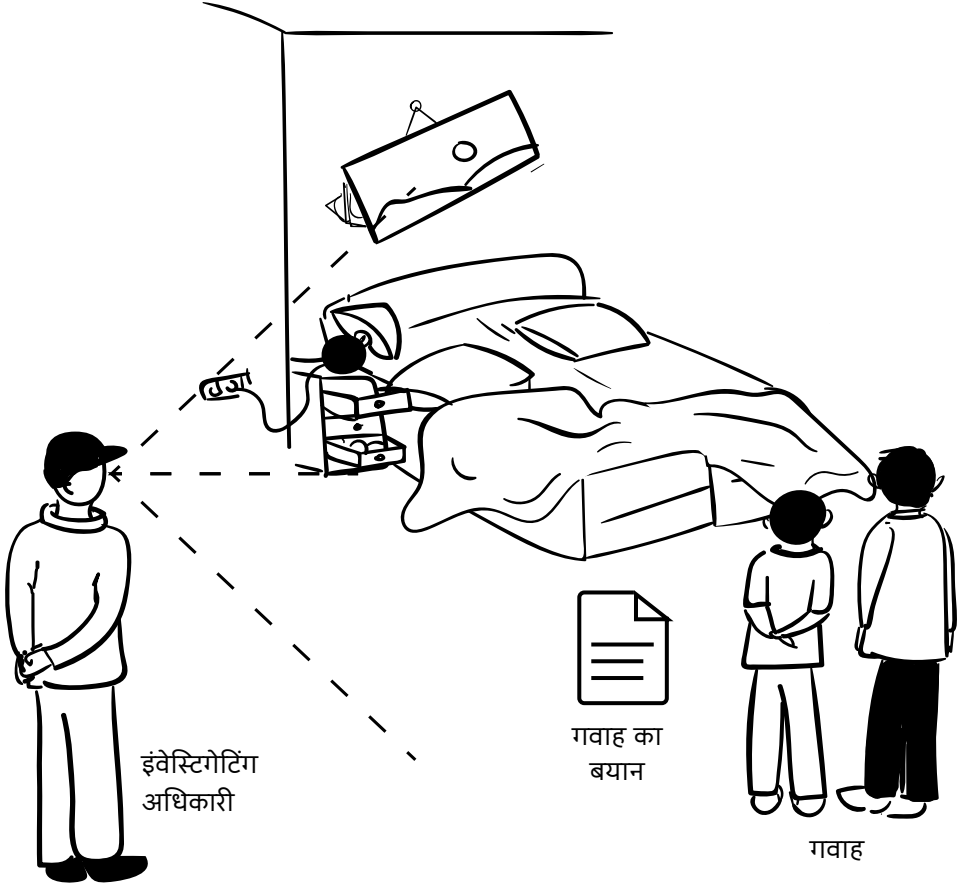

नकद

कार्ड

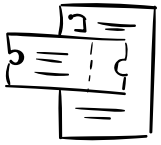

टिकट

पासपोर्ट
और आईडी

विष / ड्रग्स

फोनबुक्स / डायरी

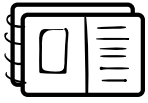

बैंक खाता
दस्तावेज़

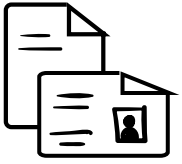

घर/ कार/दुकान
के दस्तावेज़

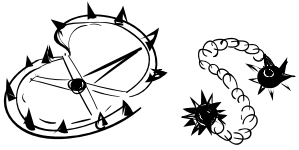

पशु जाल

हथियार

समाचार पत्र /
पन्ने के टुकड़े

नक्शा

जैविक सबूत

इलेक्ट्रॉनिक सबूत

सर्च एंड सीज़र मेमो
में सभी विवरण
नोट करें

इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण एकत्रीकरण

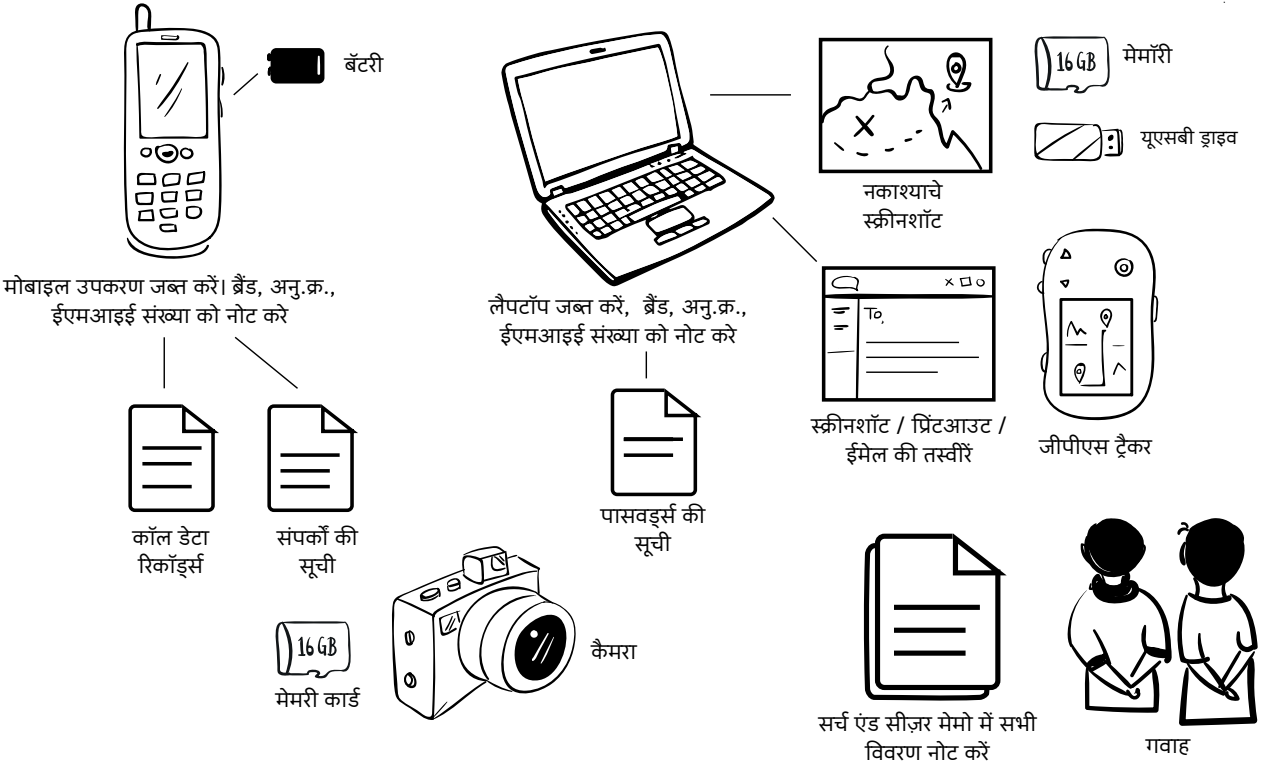

चिह्न प्रमाण

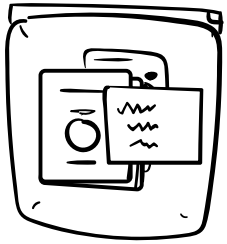

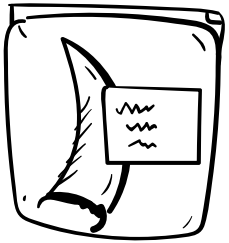

जब्त की गई वस्तुओं को पारदर्शी पॉलीथैन बैग्स में मार्क,सील और लेबल किया जाना चाहिए

लेबल में समाविष्ट होना चाहिए:

१. वस्तु का नाम
२. केस का संदर्भ
३. एकत्रीकरण की तारीख
४. संख्या/अंदर की राशि
५. एस/एन संख्या (इलेक्ट्रॉनिक्स)
६. इंवेस्टिगेटिंग अधिकारी, आरोपी और गवाह के हस्ताक्षर

सर्च एंड सीज़र मेमो में सभी सबूतों के बारे में बतायें

जीवशास्त्रीय प्रमाण एकत्रीकरण

संपूर्ण

सजीव वन्यजीव

पुनर्वास/ जंगल में छोड़ने के लिए न्यायिक अधिकारी से अनुमति की विनती करें

सजीव जानवर

झेडएसआई (झुओलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया), कोलकाता में सूचित करना

वनस्पति

बीएसआई (बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया), कोलकाता में सूचित करना

शव / अप्राकृतिक मृत्यु

एनटीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी पशुचिकित्सक द्वारा पोस्ट मार्टम

विषप्राशन

आंत के कुछ भाग को एकत्र करें और परीक्षा और विष विज्ञान रिपोर्ट के लिए राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजें

रोग

आंत के कुछ भाग को एकत्र करें और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अधिकृत प्रयोगशाला में भेजे

शिकार

निम्नलिखित वस्तुओं को स्थापित करने के लिए जांच करना:

कैसे

कब

कहां

कौन

अन्वेषण के बाद, शव की निकासी के लिए विनती।
दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शव को जलाया/दफनाना चाहिए

जीवशास्त्रीय प्रमाण एकत्रीकरण

भाग

त्वचा / फर

फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजें

- प्रिसर्टेटिव के रूप में रसायन की उपस्थिति के लिए जांच करना
- हथियारों और शूटिंग रेंज के प्रकार को निर्धारण करने के लिए बारूद की उपस्थिति के लिए घावों की बैलिस्टिक परीक्षा

* बाघ की खाल के मामले में, बाघ की दाहिने हिस्से की तस्वीर भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजें ताकि बाघ का कैमरा ट्रैप रिपॉजिटरी से मिलान किया जा सके

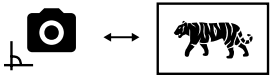

बाल / हड्डियाँ / रक्त / मांस

एथनॉल/सिलिका जेल में सावधानी से सबूतों को सील करना

जीनस और प्रजातियों की पुष्टि करने के लिए अधिकृत प्रयोगशाला को भेजें

सींग / दांत

पशुचिकित्सक को सींग /दांत के वज़न/परिधिको को दर्ज करना चाहिए

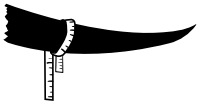

जब्त किया गया माल को उसके ताज़ेपन, आकार, रंग, टेक्स्चर, संरचना, लंबाई, वजन इत्यादि को दर्ज किया जाना चाहिए। सबूतों पर मौजूद कट या घावों के निशान को दर्ज करें

जीवशास्त्रीय प्रमाणः एकत्रीकरण और सीलिंग

मांस / त्वचा / विष्ठा (स्कैट)

१. स्क्रू कैप वाइल (<100मिली/ग्रा. क्षमता) को ले

२. वाइल को सिलिका जेल से आधा भरें और फिल्टर पेपर से ढंकें या 75% एब्सॉल्यूट एथनॉल से 2/3 भरें।

३. वाइल में पशु के शरीर के विभिन्न भागों के अंश को रखें और उसे प्रजाति, एकत्रीकरण का स्थान और तिथि देकर लेबल करें

खून के लिए

4°C पर वैक्यूटेनर ट्यूब में एकत्र करें

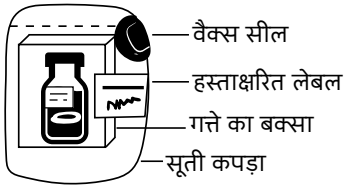

सीलिंग प्रमाण

सबूत को मलमल/सूती कपड़े में लपेट कर गत्ते के बक्से मे रखे और सभी ओर से सिल करके गर्म मोम(रेसिन/लाख) पर फ़ोरवर्डिंग अफ़सर की आधिकारिक मोहर से सील करें। लेबल पर पशुचिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए और सर्च एंड सीज़र मेमो में इसका उल्लेख होना चाहिए।

विभिन्न पशुओं से नमूनों को संभालते समय दस्तानों को सैनिटाइज़ करें

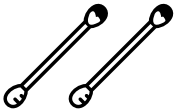

रक्त, उलटी और अन्य तरल पदार्थ के नमूने के लिए कॉटन स्वैब का उपयोग करना

पूछताछ्

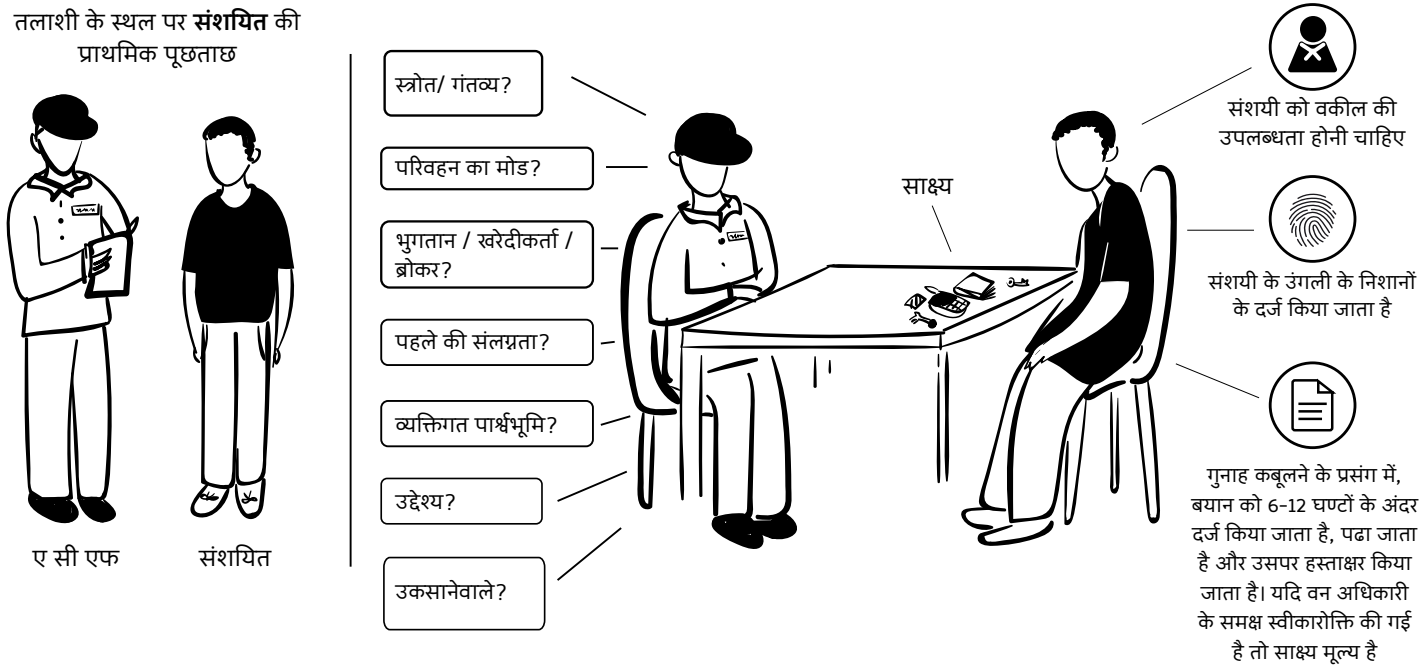
तलाशी के स्थल पर **संशयित** की प्राथमिक पूछताछ
ए सी एफ
संशयित
स्त्रोत/ गंतव्य?
परिवहन का मोड?
भुगतान / खरेदीकर्ता / ब्रोकर?
पहले की संलग्नता?
व्यक्तिगत पार्श्वभूमि?
उद्देश्य?
उकसानेवाले?
साक्ष्य
संशयी को वकील की उपलब्धता होनी चाहिए
संशयी के उंगली के निशानों के दर्ज किया जाता है
गुनाह कबूलने के प्रसंग में, बयान को 6-12 घण्टों के अंदर दर्ज किया जाता है, पढा जाता है और उसपर हस्ताक्षर किया जाता है। यदि वन अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति की गई है तो साक्ष्य मूल्य है

गिरफ्तारी

१.

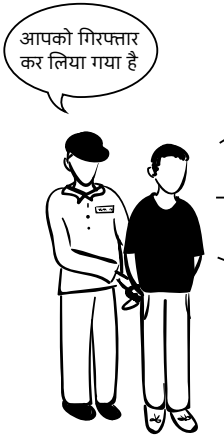

महिला हो, तो महिला अफसर द्वारा
गिरफ्तारी की जानी चाहिए

नाबालिगों के बारे में,अभिभावक को सूचित किया जाएगा और नाबालिग
न्याय कानून 2015 की कार्यपद्धति को सूचित किया जाएगा

विदेशी नागरिकों के प्रसंग में उनके देश के दूतावास को
गिरफ्तारी की सूचना दी जानी चाहिए

संशयी को संबधी, हितचिंतक या दो
गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार करें

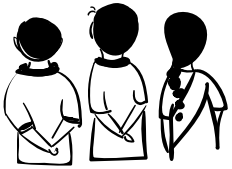

२.

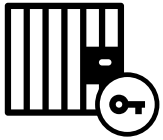

आरोपी को उनके जमानत के
अधिकार की जानकारी दें

आरोपी को उस अपराध की
जानकारी दें, जिसके लिए वे
गिरफ्तार हुए हैं

आरोपी के पास वकील
की पहुंच होनी चाहिए

३.

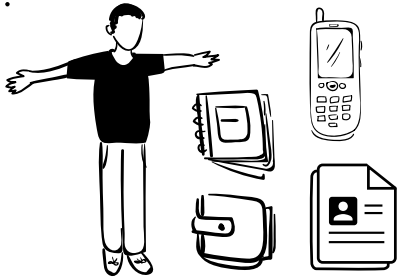

आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी और उनके पास मिली वस्तुओं को गिरफ्तारी और व्यक्तिगत तलाशी मेमों में प्रतिपादित किया जाना चाहिए

४.

गिरफ्तारी के दृश्य पर आरोपी की तफसील के साथ गिरफ्तारी और व्यक्तिगत तलाशी मेमो

५.

छायाचित्रों और उंगली के निशानों को व्यक्तिगत प्रोफाइल में संजोया जाना चाहिए। तफसील जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो/ मोडस ऑपरैंडी ब्यूरो और फिंगरप्रिंट्स ब्यूरों में दिया जाना चाहिए

६.

गिरफ्तारी की सूचना परिवार के सदस्य को दी जानी चाहिए

गिरफ्तारी की सूचना मुख्य वन्यजीव वार्डन को भेजी जाएगी

टेलिफोन के माध्यम से सूचना दी जाए, तो उसकी पुष्टि लिखित रूप से की जानी चाहिए

७.

आरोपी द्वारा दिए पते का सत्यापन करें

८.

आवश्यक होने पर वैद्यकीय उपचार दें

वैद्यकीय जांच होनी चाहिए

सहायक सिविल सर्जन या सरकारी डॉक्टर से फिटनेस प्रमाणपत्र लेना चाहिए

हर 48 घण्टे मेडिकल जांच दोहरायें

आरोपी की भौतिक घाव या विरूपताओं को मेमो में दर्ज करना चाहिए

९.

शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे के बीच पूछताछ टालें

आरोपी को भौतिक जबरदस्ती या टोर्चर नहीं किया जाना चाहिए

१०.

गिरफ्तारी और व्यक्तिगत तलाशी मेमो पर आरोपी के बॉए अंगूठे का निशान लें , गवाह और अन्वेषक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अभिस्वीकृति के अंतर्गत प्रति प्रदान की जानी चाहिए

११.

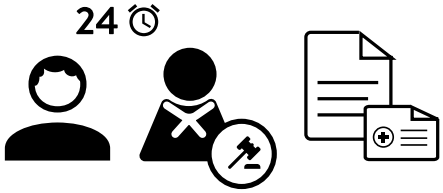

24 घंटों की गिरफ्तारी के भीतर, यात्रा के समय को छोड़कर, आरोपी को न्यायिक अधिकारी के सामने आरोपी को प्रस्तुत करें, रिमांड रिपोर्ट के साथ, चिकित्सकीय प्रमाणपत्र शामिल करें

१२.

न्यायिक हिरासत आवश्यक हो, तो धारा 167, भारतीय दंडसंहिता के अंतर्गत याचिका फाइल करें

३. वाइल्डलाइफ ओफ्फेंस रिपोर्ट और न्यायिक हिरासत

(POR/WLOR/FOR)

डब्ल्यू.एल.ओ.आर. लिखना

डब्ल्यू.एल.ओ.आर. को आरोपी के गिरफ्तरी के 24 घण्टों के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाना चाहिए

फरार आरोपी के मामले में, आरोपी को तलाशने के लिए किए जानेवाले प्रयासों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाना चाहिए

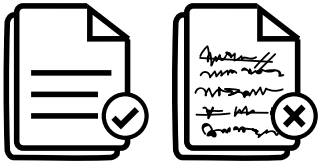

डब्ल्यू.एल.ओ.आर. टाइप किया जाना चाहिए या फिर बिना किसी ओवर राइटिंग या परिवर्तन के स्पष्ट रूप से हाथ की लिखावट होनी चाहिए

- विशिष्ट तथा बिना किसी दोहरे अर्थ के होना चाहिए।
- सीधी भाषा और क्रम से वर्णन होना चाहिए।
- प्रजाति, कार्यक्रम, विहित सज़ा का प्रमाण, आरोपी ने पहली बार या बार-बार अपराध किया है, यह बताया जाना चाहिए।
- शिकायत फाइल करनेवाले अधिकारी को डब्ल्यू.एल.ओ.आर. के सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- डब्ल्यू.एल.ओ.आर. में जब्त किए गए प्रमाण को फॉरेंसिक परीक्षा में भेजने के लिए और आरोपी की न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रार्थना होनी चाहिए।

वन्यजीव अपराध अहवाल पडताळणी सूची

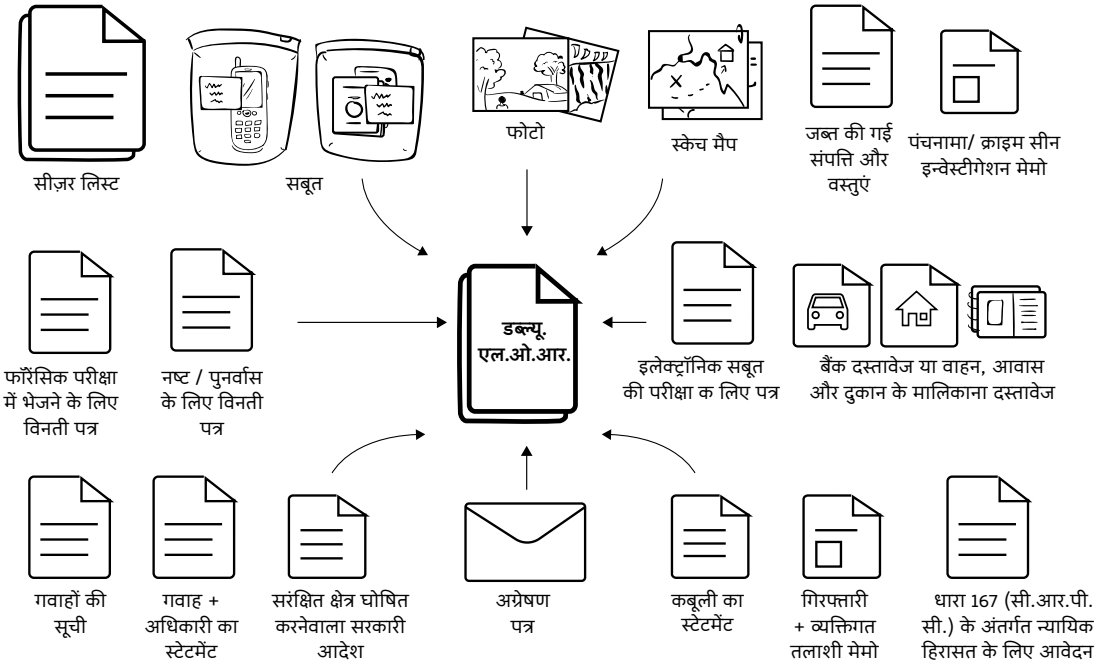

डब्ल्यू.एल.ओ.आर. रजिस्टर करना

मजिस्ट्रेट / जे.एम. एफ.सी के यहाँ फाइल करे

एक कॉपी उप वन संरक्षक को भेजे

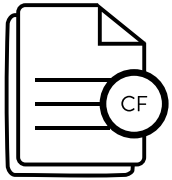

एक कॉपी वन संरक्षक को भेजे

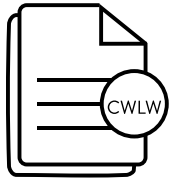

एक कॉपी मुख्य वन्यजीव वार्डन को भेजे

एक कॉपी एडिशनल डायरेक्टर, डब्ल्यू. सी.सी.बी. को भेजे

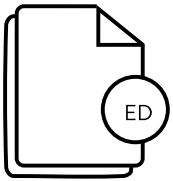

उच्च मूल्य के माल के मामले मे, डब्ल्यू. एल.ओ.आर. की प्रति डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट को भेजी जानी चाहिए

ज़मानत

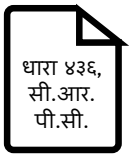

सी.आर.पी.सी. की धारा 436 के तहत जमानत आवेदन कीजिये

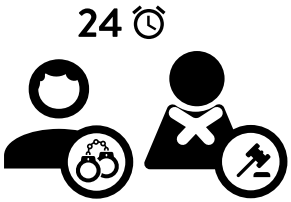

आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए

मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को प्रस्तुत करने के बाद, जमानत आवेदन की सुनवाई की जा सकती है।

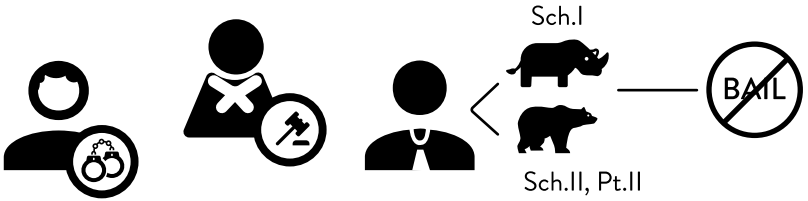

अनुसूची I और अनुसूची II भाग II में पशुओ के संबंधित दोहराये गये अपराधों के मामले में, वन्यजीवन कानून धारा 51A स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि जमानत के विरुद्ध सरकारी वकील का परिवाद सुने बिना जमानत नहीं दी जा सकती।

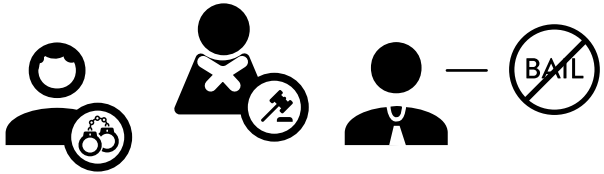

सरकारी वकील आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए
नीचे दिए गए आधारों को प्रस्तुत कर सकता है:

यदि गिरफ्तार व्यक्ति भागने की कोशिश करता है या गिरफ्तारी के दौरान गलत नाम और पता देता है

दिखायें कि उसकी अनुपस्थिति कैसे जाँच पड़ताल में प्रभाव डालेगी

दिखायें कि वह छोडे जाने पर समाज के लिए एक खतरा है / या कोई और अपराध कर सकता है

आरोपी के पहले के साबित हुए अपराध लागू हों, तो दिखायें

यदि जमानत दी जाती है, तो पासपोर्ट जप्त किए जाने की विनती ताकि आरोपी देश छोड़कर भाग न जाए

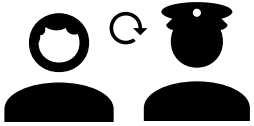

यदि जमानत दी जाती है, तो अधिकारी को आरोपी को पुलिस स्टेशन नियमित रूप से बुलाने की विनती कीजिए

४. डब्ल्यू.एल.ओ.आर. के बाद का अन्वेषण

डब्ल्यू.एल.ओ.आर. के बाद का अन्वेषण

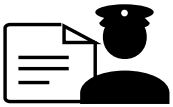

आगे के अन्वेषण के लिए ए.सी.एफ से वारंट लें

आरोपी की पूछताछ करना

पूछताछ के आधार पर आगे का अन्वेषण करें

गवाह का स्टेटमेंट दर्ज करना

गवाही के स्टेटमेंट ए.सी.एफ. द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए

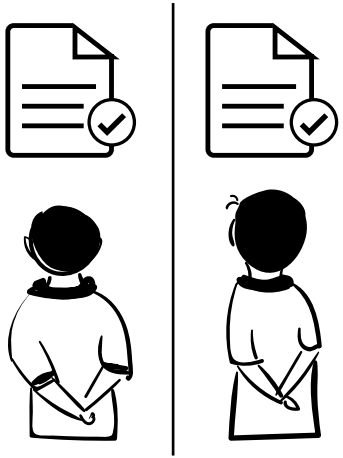

यह सुनिश्चित करें कि गवाही के स्टेटमेंट मैच हों और कोई भी विसंगति न हो

स्टेटमेंद दर्ज करना - गुनाहों की कबूली

यदि स्वीकारोक्ति बयान दिया जाता है, तो इसे ए.सी.एफ. या ऊपर के किसी रैंकअधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए

“मैंने (नाम) को स्पष्ट किया कि वह कबूली करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करते हैं, तो जो भी गवाही वह देते हैं, न्यायालय में उनके विरुद्ध उसका उपयोग किया जाएगा। मेरा विश्वास है कि उसने स्वेच्छा से यह कबूली दी है। उसे मेरे द्वारा दर्ज़ किया गया और उसे कहनेवाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया और उसने स्वीकार किया कि वह सही और सत्य है।”

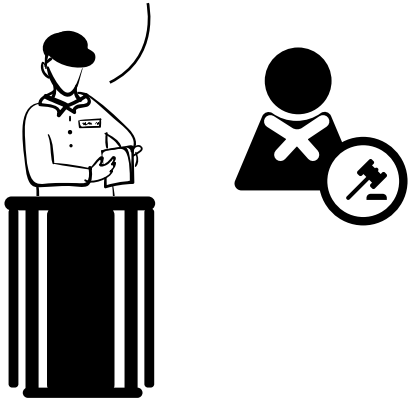

स्वीकारोक्ति बयान

केस डायरी का महत्त्व

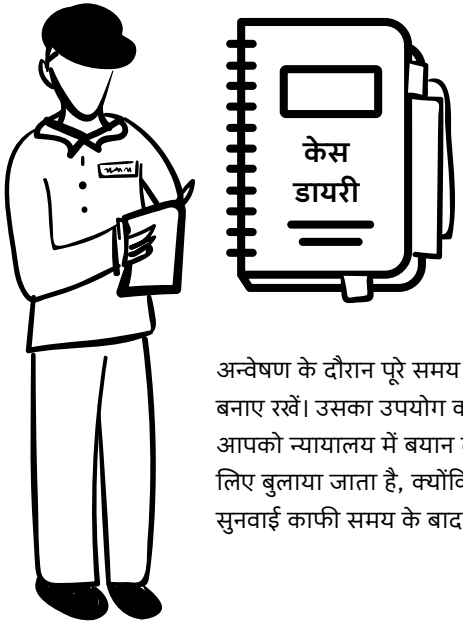

अन्वेषण के दौरान पूरे समय केस डायरी बनाए रखें। उसका उपयोग करें, जब आपको न्यायालय में बयान देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि कई बार सुनवाई काफी समय के बाद होती है।

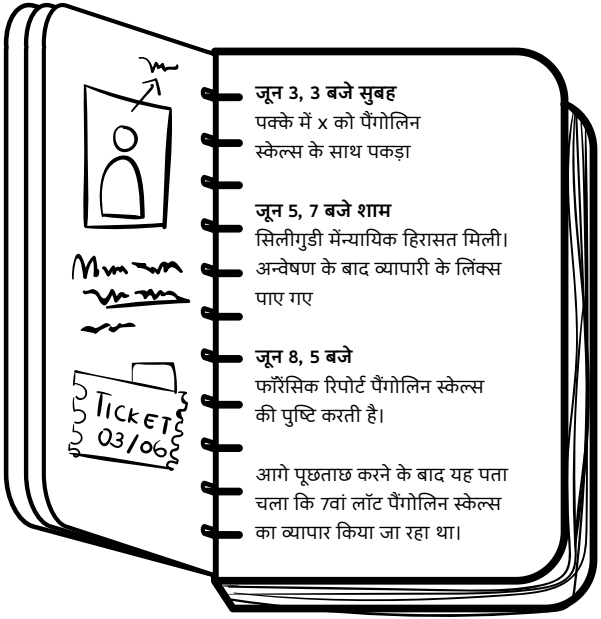

जून 3, 3 बजे सुबह
पक्के में x को पैंगोलिन स्केल्स के साथ पकड़ा

जून 5, 7 बजे शाम
सिलीगुडी में न्यायिक हिरासत मिली। अन्वेषण के बाद व्यापारी के लिंक्स पाए गए

जून 8, 5 बजे
फॉरेंसिक रिपोर्ट पैंगोलिन स्केल्स की पुष्टि करती है।

आगे पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि 7वां लॉट पैंगोलिन स्केल्स का व्यापार किया जा रहा था।

विश्लेषण

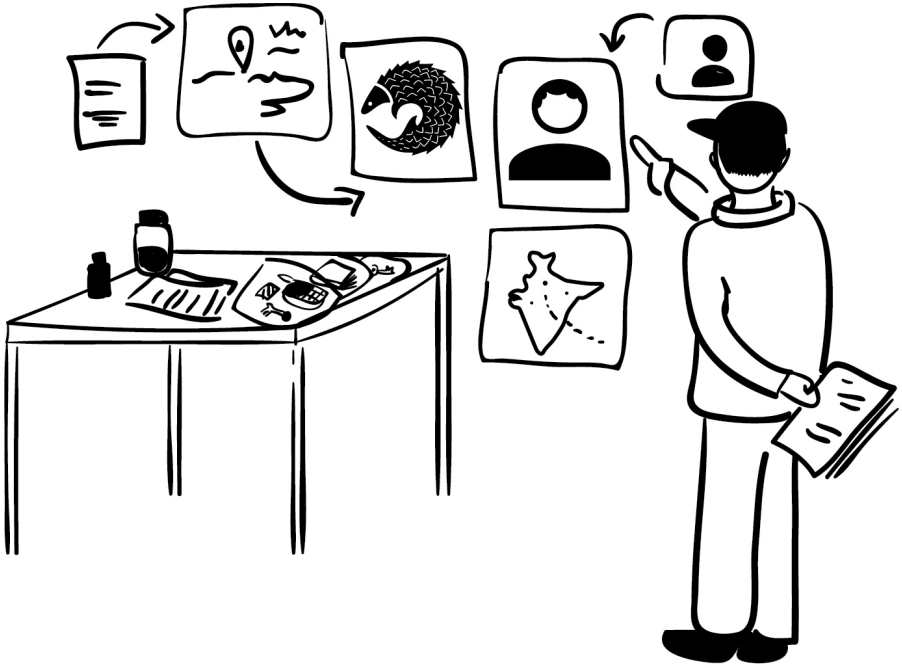

5. कंप्लेंट

कंप्लेंट लिखना

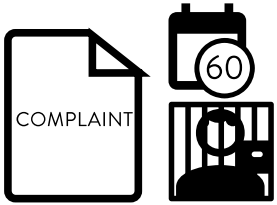

न्यायिक हिरासत के केस में पहले आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर कंप्लेंट फाइल की जा रही है

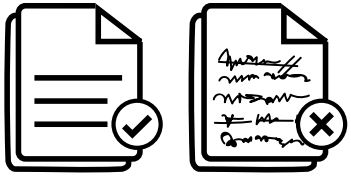

कंप्लेंट को प्राधान्यक्रम से टाइप किया जाना चाहिए अथवा बिना किसी अतिलेखन या बदलाव के स्वच्छ रूप से हाथ से लिखा जाना चाहिए

- स्पष्ट और कोई दोहरा अर्थ नहीं होना चाहिए.
- स्पष्ट भाषा में और क्रम से कहा जाना चाहिए।
- प्रजाति का नाम, अनुसूची, विहित सजा का प्रमाण, भले आरोपी पहिली बार हो या बार-बार, यह प्रतिपादित किया जाना चाहिए।
- कंप्लेंट फाइल कर रहे अधिकृत अधिकारी को डब्ल्यूएलओआर के सभी पेजों पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- कंप्लेंट में जेल की सजा तथा/अथवा दण्ड की मांग करनेवाली प्रार्थना होनी चाहिए।

कंप्लेंट का अवलोकन

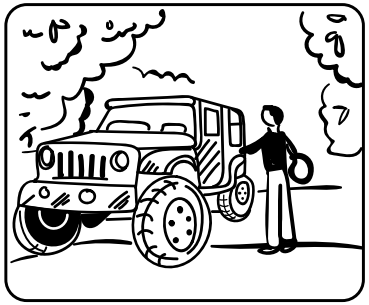

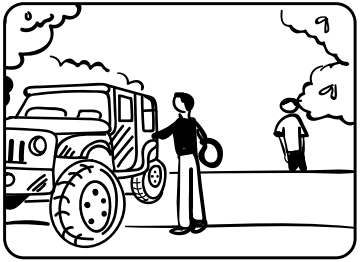

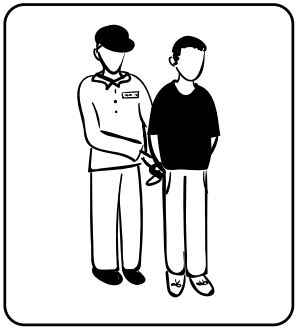

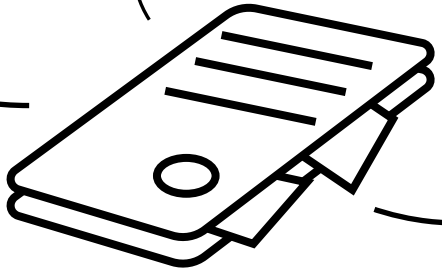

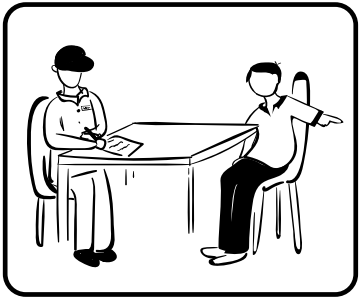

कंप्लेंट में प्रसंगों का विस्तृत प्रवाह होना चाहिए और ठोस प्रमाण के साथ किया जाना चाहिए।

शिकायत के साथ संलग्न किए जानेवाले दस्तावेज़ों की सूची

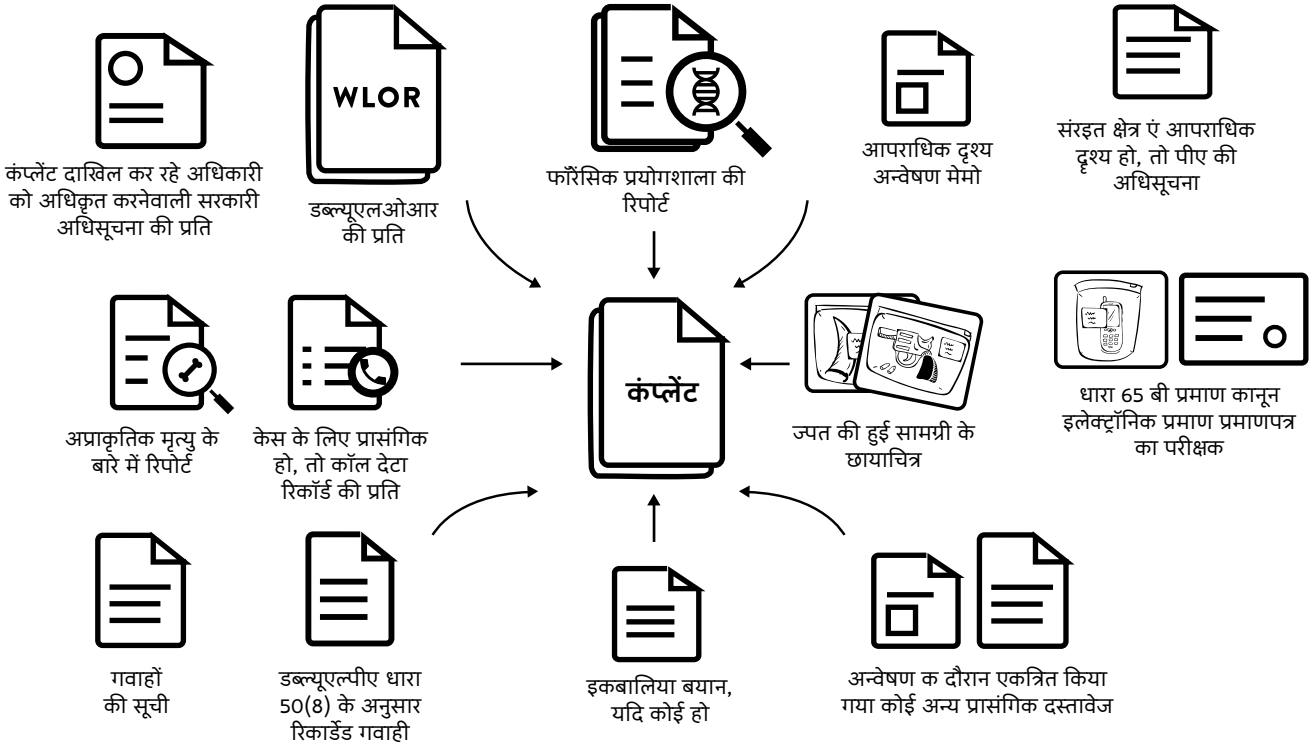

अभियोजन

अन्वेषक अधिकारी (इंवेस्टिगेटिंग अफसर, IO) को गवाहों की हाजिरी सुनिश्चित करनी है और उन्हें प्रमाण से पहले ब्रीफ करना है

आईओ (IO) को सरकारी वकील के साथ नजदीकी से काम करना है

आईओ (IO) को केस डायरी बनाए रखनी है और उसे एसीएफ/डीसीएफ को दाखिल करना है

साक्षी/गवाह का प्रशिक्षण

परीक्षण प्रक्रिया

अदालत में पालन करने के लिए प्रोटोकॉल

ऐसा करें

पीओआर पंचनामा और अपने साक्षी बयान को जानिए

अदालत में दिए गए पहले के बयान के अनुरूप रहें

किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोचने के लिए समय लें

यदि आवश्यक हो तो कहें कि इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है

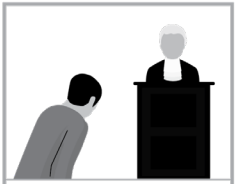

यदि आवश्यक हो, तो अपनी याददाश्त को ताजा करने के लिए अदालत से मोहलत मांगे

ऐसा न करें

अदालत के समक्ष किसी मामले के विवरण को मन घड़न्त रूप से या अनुमान से न बताएँ

आपके ज्ञान के दायरे से बाहर उत्तर न दें

जब आपसे सवाल किया जाए तो क्रोधित रक्षात्मक या अधीर न हों

बचाव पक्ष के वकील से बहस या झगड़ा न करें

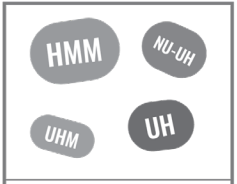

उत्तर के रूप में 'हम्म', उह' या न-अः जैसे शब्दों का प्रयोग न करें।

महत्वपूर्ण केस विवरण जो याद रखे जाने चाहिए

जप्ती व जांच दल

आरोपी और घटना स्थल

मुकदमे के बाद का कार्य

आरोपी पर निर्णय

छोड़ दिया जाए तो

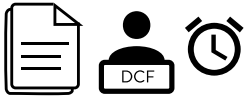

सीमित अवधि के भीतर डीसीएफ से टिप्पणियों के साथ कानूनी सेल को रेफर करें

अगर दोषी पाया गया

सजा पर्याप्त न हो तो

अपराध साबित हो जाने पर

वन विभाग का प्रमुख अफसरों को पुरस्कार जारी कर सकता है

रेंज और विभाग स्तर पर आरोपी की हिस्ट्री शीट तैयार करके पुलिस स्टेशन के साथ साझा किया जाए।

विभाग और राज्य स्तर पर फोटो डेटाबेस तैयार करके डब्ल्यूसीसीबी और एनटीसीए के साथ साझा जिया जाए

रिहाई करने के बाद, रेंज अधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली गतिविधियाँ

वन्यजीव परिसर से निकट ह्वचल या गतिविधि की सूचना, सूचना शीट के रूप में डीएफओ/आरएफो/एसएचओ को दी जानी चाहिए

यदि जमानत मंजूर हो जाए

आरोपी की गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाए

*वन्यजीव व्यापार में सामान्य अपराध

वन्य जीव अधिनियम, 1972 के अंतर्गत व्यापार और शिकार के अपराध

क्रम संख्या	धारा / अपराध	प्रावधानित दंड	उचित न्यायालय
१	**धारा 9 सहपठित 51** अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अनुसूची I से IV में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर का शिकार	**प्रथम दोषसिद्धि:** कैद जिसकी अवधि 3 साल से कम न हो और 7 साल से ज्यादा न हो एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
२	**धारा 9 सहपठित 51** किसी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व के बाहर अनुसूची I या अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर का शिकार।	**प्रथम दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
३	**धारा 9 सहपठित 51** अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व के बाहर भाग I अनुसूची II, अनुसूची III और अनुसूची IV में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर का शिकार।	3 साल तक की कैद या 25000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)

क्रम संख्या	धारा / अपराध	प्रावधानित दंड	उचित न्यायालय
४	**धारा 9 सहपठित 51(1C)** टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के संबंध में अपराध, सहित शिकार या सीमाओं का परिवर्तन।	**प्रथम दोषसिद्धी:** कैद जिसकी अवधि 3 साल से कम न हो और 7 साल से ज्यादा न हो एवं जुर्मा ना जो रु.50,000 से कम न हो और रु.2 लाख तक हो सकता है **दसूरी/ज्यादा बार दोषसिद्धि :** कैद जिसकी अवधि 7 साल से कम न हो एवं जुर्माना जो रु.5 लाख से कम न हो और रु.50 लाख तक हो सकता है	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
५	**धारा 27(3) सहपठित 51** गलत लाभ पाने के लिए सीमा चिन्ह को नुकसान पहुंचाना **धारा 29 सहपठित 51** अभयारण्य में विनाश	**प्रथम दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
६	**धारा 30 सहपठित 51** अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व में आग लगाना	**प्रथम दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)

क्रम संख्या	धारा / अपराध	प्रावधानित दंड	उचित न्यायालय
७	**धारा 31 सहपठित 51** बिना अनुमति के किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में हथियार के साथ प्रवेश	**प्रथम दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
८	**धारा 32 सहपठित 51** अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व के अंदर हानिकारक पदार्थों का उपयोग	**प्रथम दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
९	**धारा 29, 35(8) सहपठित 51** **धारा 35(6) सहपठित 51** राष्ट्रीय उद्यान में नाशकरण	**प्रथम दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु.10,000 से कम न हो। **दूसरी / ज़्यादा बार दोषसिद्धि:** कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो रु. 25,000 से कम न हो।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)

क्रम संख्या	धारा / अपराध	प्रावधानित दंड	उचित न्यायालय
१०	**धारा 39 सहपठित 51** वन्यजीवों आदि का सरकारी संपत्ति होना	अनुसूची I और अनुसूची II भाग II प्रजातियों के मामले में, कम से कम 3 साल और 7 साल तक की कैद और जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा। अनुसूची II भाग I, अनुसूची III और IV प्रजातियों के मामले में, कैद जो 3 वर्ष से अधि क नहीं या 25,000 रुपये तक का जुर्माना।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)
११	**धारा 42 सहपठित 51** स्वामित्व का प्रमाण पत्र **धारा 44 सहपठित 51** अनुसूची II भाग I, अनुसूची III और अनुसूची IV में वन्यजीवों के लाइसेंस के बिना ट्राफी और जानवरों की वस्तुओं का लेनदेन निषिद्ध है **धारा 48 सहपठित 51** लाइसेंसधारी द्वारा वन्यजीव आदि की खरीद **धारा 48अ सहपठित 51** वन्यजीवों के परिवह न पर प्रति बंध **धारा 49 सहपठित 51** लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंदी वन्यजीव आदि की खरीद **धारा 49ब सहपठित 51** अनुसूची I और अनुसूची II भाग II वन्यजीवों की ट्रोफी, पशु लेख आदि का व्यवहार करना	अनुसूची I और अनुसूची II भाग II प्रजाति यों के मामले में, कम से कम 3 साल और 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। अनुसूची II भाग I, अनुसूची III और IV प्रजातियों के मामले में, 3 वर्ष से अधि क नहीं या 25,000 रुपये तक का जुर्माना।	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) (जेएमएफसी)

क्रम संख्या	धारा / अपराध	प्रावधानित दंड	उचित न्यायालय
१२	**धारा 52 सहित 51** प्रयास और उकसाना	अपराध के प्रयास या दुष्प्रेरण के समान दंड।	

नोट:

उपर्युक्त अनुभाग केवल प्रमुख प्रावधान हैं जिन्हें वन्यजीव अपराध के अधीन लागू किया जा सकता है **जोकि** मामलों के तथ्य और परिस्थितियां पर निर्भर करता है। हालाँकि, कानून को गहराई से समझने और लागू करने के लिए, यह अनुशंसा की गई है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

दूसरी बार या बार-बार अपराध करने पर कम से कम 7 साल की कैद और जुर्माना जो 5 लाख रुपये से कम नहीं हो और 50 लाख रुपये से अधिक न हो लगाया जा सकता है। **वापस अपराध करनेवालों के मामले में, ऐसी सजा जो** 3 वर्षों से कम न हो लेकिन 7 साल तक हो सकती है और जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम न हो।

WCS
INDIA